

भाग-3  
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

स्थल जगहों की वन भूमि शामिल की गई, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	उत्तर प्रदेश। हाँ
प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारण के साथ विशेष सिकांरिषें	उत्नाव। संस्तुति की जाती है।

तिथि 27-3-15  
स्थान - बखानक

हस्ताक्षर:  
नाम: इबाबुमि  
पदनाम:

भाग-4  
मूल्य वन संरक्षक  
मुख्य वन संरक्षक  
नाम: मण्डल उ०प्र० लखनऊ  
पदनाम: नखनऊ

डिप्टियरों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्य के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिकांरिषें। (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल डिप्टियरों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक डिप्टी दी जाये)

हस्ताक्षर:  
नाम:  
पदनाम:

भाग-5  
वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव पद के नीचे का अधिकारी न हो भरा जाना है)

राज्य सरकार की सिकांरिष (उपयुक्त भाग-2, भाग-3 या भाग-4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल डिप्टियरों पर विशिष्ट की जाये)

हस्ताक्षर:  
नाम:  
पदनाम:

Profarma